# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/ डिक्री/ टीए/10241/ 2003/ पाली

श्रीमति टीपू पत्नि जीवाराम कौम चौधरी (जणवा) निवासी लॉवी तहसील देसूरी जिला पाली।

.....अपीलार्थी

बनाम

श्री मूलदास पुत्र चेनदास कौम वैष्णव निवासी सुमेर हाल झूठारियां तहसील देसूरी जिला पाली।

.....प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री वी.पी.सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः–23/12/2022.

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 56/97 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30–4–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थी न्यायालय सहायक जिलाधीश, देसूरी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादी अपीलार्थी को आवंटन की गई थी, जिसे वादी ने देखभाल के लिये अपने साला को दे दी एवं वह कमाने खाने चला गया। पीछे से उक्त आराजी पर सुल्तान पुत्र वरदसिंह व हकाराम ने जबरन से कब्जा कर लिया एवं काश्त कर ली। वादी ने एक राजस्व वाद हकाराम व सुल्तान सिंह के विरूद्ध पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश देसूरी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–91 द्वारा प्रतिवादी सुल्तान सिंह के विरूद्ध डिक्री कर दिया एवं कब्जा वादी को दिला दिया गया। विवादित भूमि नाहरसिंह व सुल्तानसिंह ने अपीलार्थी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14–6–90 को हस्तांतरण कर दी, जिसका नामांतकरण भी दिनांक 12–8–90 को वर्तमान अपीलार्थी के नाम कर दिया गया, तब से अपीलार्थी विवादित भूमि का खातेदार है। चूंकि विवादित भूमि वादी प्रत्यर्थी की है एवं राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम गलत दर्ज की गई है। नाहरसिंह व सुल्तान सिंह को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी विवादित भूमि को वादी के नाम दर्ज नहीं करा रही है इसलिए वाद प्रस्तुत करना पड़ा। प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर वादी के कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–7–97 द्वारा वादी का वाद विरूद्ध अपीलार्थी डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रतिवादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के यहां प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 30–4–2001 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री बहाल रखा। उपरोक्त निर्णय दिनांक

17—7—97 व 30—4—2021 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से निरस्तनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 व 3 को कानूनी व प्राथमिक तनकी मानकर प्रत्यर्थी का वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है। दोनों तनकी कानूनी या प्राथमिक तनकी नहीं कही जा सकती। दोनों तनकी तथ्यों व कानून से मिश्रित तनकीयां है, अतः निर्णय करने से पूर्व साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है। साक्ष्य के अभाव में केवल इन तनकियों के आधार पर वादी प्रत्यर्थी के पक्ष में वाद डिक्री कर विचारण न्यायालय ने अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है एवं प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय भी विधि विरूद्ध है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद निर्णित किये जाने की आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया। चूंकि पूर्व वाद संख्या 493/85 मूलदास बनाक हकाराम के निर्णय से बाध्य नहीं था। अपीलार्थी को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया। सीपीसी की धारा 11 के घटक अपीलार्थी के वाद में अप्लाई नहीं करते। विवादित भूमि पर अपीलार्थी काबिज है, कब्जे की दादरसी वादी ने नहीं चाही थी, जिसके अभाव में वादी प्रत्यर्थी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय आदेश 20 नियम 4, 2 व 5 व आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विरूद्ध है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 पर निर्णय करने का इस स्टेज पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकार नहीं था। धारा 33 प्रत्यर्थी के वाद में अप्लाई नहीं करती। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील

स्वीकार की जावे तथा प्रत्यर्थी वादी का वाद पुनः विधिवत् निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को लौटाया जावे।

4— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अभिकथन किया कि पारित अपीलाधीन निर्णय विधिवत् है। हस्तगत अपील तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके मनगंढ़त आधार पर पेश की गई है। विवादित भूमि प्रत्यर्थी के पक्ष में आवंटनशुदा होकर सुल्तानसिंह, हकाराम वगैरह द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण वाद संख्या 493/85 पेश किया, जो बाद सुनवाई व साक्ष्य उपरांत विधिवत् निर्णय किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से कोई अपील पेश नहीं की गई। जबकि इसकी जानकारी अपीलार्थी को थी एवं इसके लंबित रहते हुए राजस्व रेकार्ड में अलग इन्द्राज के आधार पर विवादित भूमि क्रय की गई, जिससे अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा विवादित भूमि रकबा का कब्जा निर्णय दिनांक 31—5—91 की पालना में तहसीलदार द्वारा दिया जा चुका है। जबकि राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं किये जाने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद संख्या 29/96 पेश किया, जिसमें तनकी संख्या 2 व 3 कानूनी होकर किसी प्रकार का तथ्य साबित करने की तनकी शेष नहीं थी। इसके लिये साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक नहीं था। पारित अपीलाधीन निर्णय रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत के अनुसार ही नहीं होकर कानूनी बिन्दुओं के संबंध में किया गया निर्णय विधिवत है। प्रकरण संख्या 493/85 की इजराय में पेश किये गये उजरात खारिज किये जा चुके थे तथा उक्त निर्णय के प्रभाव हो रोकने हेतु अपील पेश की गई है। जबकि निर्णय दिनांक 31—5—91 से अपीलार्थी पाबंद है। विक्रय पत्र दिनांक 14—6—1990 प्रभाव शून्य दस्तावेज होकर उसे निरस्त कराने की अपेक्षा नहं है तथा इसके आधार पर अपीलार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर

वाद डिक्री किया, जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय ने खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं है। अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

6— अवधार्य प्रश्न :—

आया योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी जिला पाली ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—7—97 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने अपने निर्णय दिनांक 30—4—2001 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित की है?

7— विनिश्चय :—

अंशतः अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विनिश्चय के कारण :—

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मूलदास ने प्रतिवादीया टीपू के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादीया की उपस्थिति के पश्चात् प्रतिवादीया की ओर से जवाब दावा पेश किया गया एवं प्रकरण में 05 विवाद्यक विरचित किये गये। योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या—2 एवं 3 पर बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 17—7—97 को विवाद्यक संख्या—2 एवं 3 पर अपना निष्कर्ष देते हुए वादी का वाद डिक्री किया है।

योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विवाद्यक संख्या–2 एवं 3 निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 2 :–

आया वादी मु.नं. 493/85 हस्बदफा 183 आरटीए के निर्णय दि. 31–5–91 के अनुसार विवादास्पद आराजी का हकदार घोषित हो चुका है जिसके कारण प्रतिवादीनी द्वारा विवादास्पद आराजी की खरीद शून्य एवं वॉईड है? –वादी

तनकी संख्या 3 :–

आया विवादास्पद आराजी प्रतिवादीनी ने 14–6–90 को (निर्णय दि. 31–5–91 से पूर्व) खरीद की है एवं उक्त वाद में वह पक्षकार नहीं होने से फैसले से पाबंद नहीं है? –प्रतिवादी

प्रारंभिक विवाद्यक पर निर्णय के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 में निम्नानुसार विहित किया गया है :–

*नियम–2. न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना–(1) इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा।*

*(2) जहां विधिक विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए है और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है वहां यदि वह विवाद्यक–*

*(क) न्यायालय की अधिकारिता, अथवा*

*(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन,*

*से संबंधित है तो वह पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो, वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा।"*

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के नियम 2 से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जायेगा, किन्तु यदि न्यायालय की अधिकारिता अथवा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के संबंध में कोई विधिक विवाद्यक यदि प्रकरण में विरचित हो तो ऐसे विवाद्यक का निस्तारण प्राथमिक रूप से प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में किया जा सकेगा तथा यदि न्यायालय विवाद्यक के निष्कर्ष में यह पाता है कि वाद को सुनने की अधिकारिता न्यायालय को प्राप्त नहीं है अथवा वाद तत्समय किसी प्रवृत्त विधि द्वारा वर्जित है तो वाद केवल मात्र प्रारंभिक विवाद्यक पर निर्णय करते हुए निर्णित किया जा सकेगा। उक्त नियम 2 का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल प्रारम्भिक विवाद्यक के विनिश्चयन से वाद केवल मात्र क्षैत्राधिकार के अभाव में अथवा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज ही किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रकारान्तर में आदेश 14 के नियम 2 से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल मात्र प्रारंभिक विवाद्यक के विनिश्चयन से वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। जबकि इस प्रकरण में योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रारम्भिक विवाद्यक के विनिश्चय के पश्चात् उक्त विनिश्चय के आधार पर वाद डिक्री किया है। इसके अलावा योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक संख्या 2 एवं 3 के अवलोकन करने से भी प्रकट होता है कि ये विवाद्यक न तो केवल मात्र विधि विवाद्यक है तथा न ही उक्त विवाद्यक किसी भी रूप में प्रारंभिक विवाद्यक की श्रेणी में आते है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रथमतः तो विवाद्यक संख्या 2 एवं 3 को विधि संबंधी प्रारंभिक विवाद्यक मानने में भूल कारित की है एवं द्वितीयतः केवल मात्र प्रांरभिक विवाद्यक के निष्कर्ष से वाद डिक्री करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि कारित की है। योग्य प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने भी इस तथ्य पर ध्यान न देकर विधि एवं तथ्य संबंधी गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाकर प्रकरण योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत् अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी जिला पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—7—97 तथा योग्य प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली का निर्णय दिनांक 30—4—2021 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विरचित विवाद्यकों पर उभय पक्षों को साक्ष्य का यथोचित अवसर दिया जाकर समस्त विवाद्यकों का विनिश्चय करते हुए प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण 06 माह में किया जाये।

उभय पक्ष को हिदायत दी जाती है कि वे योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी के समक्ष प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20—1—2023 को उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय की सूचना अधिवक्ता उभय पक्ष को दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी) (रामनिवास जाट)
सदस्य सदस्य